संख्या-902/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनाकः 18 जून, 2024

विषयः- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से बचाव एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु अग्निशमन एवं आपात सेवा का सुदृढ़ीकरण करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से उपकरणों के क्रय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सख्या-उ0प्रको0-202-2023(महाकुम्भ-2025/एफएस), दिनांक 20-04-2024, जो प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित एवं राजस्व विभाग सहित अन्य को पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान वृहद स्तर पर तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के एकत्रित होने के कारण किसी भी आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ उपकरणों/वाहनों का क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 66,75,07,000/- (छांछठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र0 सं0	वाहन/उपकरण का नाम	महाकुम्भ मेला में क्रय हेतु प्रस्तावित	अनुमानित लागत	कुल अनुमानित लागत
1	फायर टैण्डर (मोटर फायर इंजन)	20	60,00,000	12,00,00,000
2	फोम टैण्डर	6	80,00,000	4,80,00,000
3	फायर फाईटिंग बोट	6	23,00,000	1,38,00,000
4	एडवांस रैस्क्यू टैण्डर	4	2,00,00,000	8,00,00,000
5	जेटीवी कैम्पर	70	16,00,000	11,20,00,000
6	फायर फाइटिंग टेरन व्हीकल	4	55,00,000	2,20,00,000
7	फ्लोटिंग पम्प (लाइट वेट)	20	4,00,000	80,00,000
8	बी0ए0 सैट कम्प्रैसर	4	5,10,000	20,40,000
9	एएफटी बैग पैक	150	2,60,000	3,90,00,000
10	वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	1000	4,250	42,50,000
11	फायर एक्सटिंग्यूशर एबीसी टाईप क्षमता 06 कि0ग्रा0	5000	2,200	1,10,00,000
12	फायर एक्सटिंग्यूशर एबीसी टाईप क्षमता 09 कि0ग्रा0	1000	2,650	26,50,000

13	फायर ट्रेस ट्यूब टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	500	25,000	1,25,00,000
14	सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 कि0ग्रा0	1000	18,000	1,80,00,000
15	ट्राली माउण्टेड वाटरमिस्ट क्षमता 50 ली0	100	7,05,000	7,05,00,000
16	फायर बकैट्स मय स्टैण्ड	200	7,000	14,00,000
17	फायर हुक	100	1,650	1,65,000
18	फायरमैन एक्स	100	2100	2,10,000
19	ब्रीदिंग आपरेटर सेट	50	3,00,000	1,50,00,000
20	ड्रेगन टार्च	150	8,500	12,75,000
21	किचन फायर हेतु मॉड्यूलर 4.5 कि0ग्रा0	1500	18,000	2,70,00,000
22	नये होज पाइप	200	8500	17,00,000
23	मल्टी पर्पज ब्रांच पाइप	200	34,000	68,00,000
24	वाटर कर्टेन ब्रान्च	50	12,500	6,25,000
25	वाटर कर्टेन होज	200	40,000	80,00,000
26	फायर कम्बल	200	9,000	18,00,000
27	वाटर जैल फायर कम्बल	200	16,210	32,42,000
28	हार्नेस रैस्क्यू पट्टे भिन्न भिन्न प्रकार के	55	5,000	2,75,000
29	रिमोट ऑपरेटेड लाइफ वॉय रैस्क्यू टूल्स	4	8,00,000	32,00,000
30	क्विक रिलीज नाइफ	200	3,000	6,00,000
31	रैस्क्यू कांटा	100	2,500	2,50,000
32	रस्सा जूट/रस्सा प्लास्टिक (मीटर में)	1000	1,400	14,00,000
33	बड़ी पंजी	100	1,000	1,00,000
34	सावधानी सूचक पट्टी	100	650	65,000
35	जंगल बूट (जोड़ा)	2000	2,250	45,00,000
36	कैप	2000	500	10,00,000
37	सैफ्टी ग्लब्ज (लैदर एण्ड कॉटन) जोड़ा	2000	550	11,00,000
38	सैफ्टी गोगल्स (जोड़ा)	2000	500	10,00,000
39	अग्निरोधी जैकेट	2000	5,000	1,00,00,000
40	स्कूप स्ट्रेचर (एफआरपी)	200	22,000	44,00,000
41	एक्जिट साईनेज	500	260	1,30,000
42	पी0ए0 सिस्टम	55	28,000	15,40,000
43	इलैक्ट्रिक सायरन	50	5,000	2,50,000

44	फोम कम्पाउण्ड (ली0 में)	200	300	60,000
45	फायर रिटार्डेन्ट स्प्रे कैमीकल (ली0 में)	500	1,000	5,00,000
46	वाटर फ्लोटिंग स्ट्रेचर	24	65,000	15,60,000
47	मोटर साईकिल (अपाचे/पल्सर)	26	1,20,000	31,20,000
48	फायर एक्सटिंग्यूशर प्रशिक्षण सेमूलेटर	1	15,00,000	15,00,000
	कुल योग			**66,75,07,000/-**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग एवं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान आपदा की स्थिति में तीर्थयात्रियों/पर्यटकों की सुरक्षा एवं आपदा से बचाव हेतु पूर्व तैयारी एवं क्षमता निर्माण (preparedness and capacity building) हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ उक्त प्रस्तर-1 की तालिका में वर्णित उपकरणों/वाहनों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से कुल धनराशि रू0 66,75,07,000/- (छांछठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध</u>

1. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईडलाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
2. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरण आदि सामग्री का उपयोग केवल कुम्भ के दौरान ही नहीं अपितु किसी समय किसी भी आपदा के घटित होने पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा सक्रिय रूप से किया जायेगा, जिससे आपदा के दौरान जनहानि, धनहानि को न्यूनतम करने के लिए सेण्डई फ्रेमवर्क के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सके।
3. राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
4. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
5. क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईंधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
6. महाकुम्भ मेला-2025 की समाप्ति के उपरान्त भविष्य में उपरोक्त उपकरणों/वाहनों का आपदा सुरक्षा एवं बचाव हेतु समुचित उपयोग का उत्तरदायित्व उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग का होगा।
7. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
10. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव एवं पी0ओ0एल0 संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।
12. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय चालू वितीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।
13. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का सन्चालन एवं रखरखाव उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा किया जायेगा।
14. राज्य आपदा मोचक निधि के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।
15. प्रश्नगत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्णरूप में व्यय किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस संबंध में सुनिश्चित की जाय ताकि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 66,75,07,000/- (छांछठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05 प्राकृतिक विपत्तियों से राहत-800-06-0610 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal
Date: 18-06-2024 17:23:17

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्याः-731(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, उ0प्र0।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0।

5- पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।

9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।

10- वित्त (व्यय-नियत्रण) अनुभाग-5 ।

11- गाईड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 18-06-2024 17:32:20

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-26/06/2024

प्रेषण संख्या:- 902
आवंटन आदेश संख्या:- 001-902
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	667507000 667507000	667507000 667507000
	योग	वर्तमान प्रगामी	667507000 667507000	667507000 667507000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियासठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियासठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश